



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 891]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 26, 2019/ फाल्गुन 7, 1940

No. 891]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2019/PHALGUNA 7, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2019

का.आ. 1022(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 33 के साथ पठित धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, विधान सभा निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधान सभा निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) (संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- विधान सभा निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1979 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के प्ररूप 2च में,--
(क) भाग 3 में "मैं यह भी घोषणा करता हूं" से संबंधित पैरा के पश्चात् और "(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)" के पूर्व निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा:--

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मुझे वर्तमान आम निर्वाचन या साथ ही साथ सिक्किम विधान सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन में दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

(ख) भाग 4 में विद्यमान पैरा को उसके पैरा 1 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित पैरा के पश्चात् और "(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)" के पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:--

"2. क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण किया हुआ है?..... (हां/नहीं)

--यदि हां, तो धारण किए गए पद के ब्यौरे.....

3. क्या अभ्यर्थी को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है?.....(हां/नहीं)

- यदि हां तो क्या वह दिवालियापन से उनमोचित हो चुका है.....

4. क्या अभ्यर्थी किसी विदेश के प्रति राज्यनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है?..... (हां/नहीं)

- यदि हां तो उसके ब्यौरे दें.....

5. क्या अभ्यर्थी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निरर्हित किया गया है?(हां/नहीं)

- यदि हां, तो वह अवधि जिसके लिए अभ्यर्थी को निरर्हित किया गया है.....

6. क्या अभ्यर्थी को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पदधारण करने के दौरान भ्रष्टाचार के कारण या अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया था?.....(हां/नहीं)

- यदि हां तो ऐसी पदच्युति की तारीख.....

7. क्या अभ्यर्थी की, सरकार के साथ व्यक्तिगत हैसियत में या ऐसे न्यास या भागीदारी द्वारा, जिसमें अभ्यर्थी का, उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए गए संकर्मों के निष्पादन के लिए कोई शेयर है, कोई विद्यमान संविदा (संविदाएं) हैं?.....(हां/नहीं)

- यदि हां तो किसी सरकार के साथ और विद्यमान संविदा (संविदाओं) के ब्यौरे.....

8. क्या अभ्यर्थी किसी ऐसी कंपनी या निगम का (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कम से कम पच्चीस प्रतिशत अंश है प्रबंध अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है?.....(हां/नहीं)

- यदि हां तो किस सरकार के साथ और उसके ब्यौरे.....

9. क्या अभ्यर्थी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन आयोग द्वारा निरर्हित किया गया है.....(हां/नहीं)

- यदि हां तो निरर्हता की तारीख"

3. मूल नियमों के प्ररूप 2छ में,--

(क) भाग 3 में "मैं यह भी घोषणा करता हूं" से संबंधित पैरा के पश्चात् और "(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)" के पूर्व निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा:--

"मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मुझे वर्तमान आम निर्वाचन या साथ ही साथ सिक्किम विधान सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन में दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।"

(ख) भाग 4 में विद्यमान पैरा को उसके पैरा 1 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित पैरा के पश्चात् और "(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)" के पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"2. क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर है?..... (हां/नहीं)

-- यदि हां, तो धारण किए गए पद के ब्यौरे.....

3. क्या अभ्यर्थी को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है?.....(हां/नहीं)

-- यदि हां तो क्या वह दिवालियापन से उनमोचित हो चुका है

4. क्या अभ्यर्थी किसी विदेश के प्रति राज्यनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है?..... (हां/नहीं)

- यदि हां तो उसके ब्यौरे दें.....

5. क्या अभ्यर्थी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निरर्हित किया गया है?(हां/नहीं)

- यदि हां, तो वह अवधि जिसके लिए अभ्यर्थी को निरर्हित किया गया है.....

6. क्या अभ्यर्थी को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पदधारण करने के दौरान भ्रष्टाचार के कारण या अभक्ति के पदच्युत किया गया था?.....(हां/नहीं)

- यदि हां तो ऐसी पदच्युति की तारीख.....

7. क्या अभ्यर्थी की, सरकार के साथ व्यक्तिगत हैसियत में या ऐसे न्यास या भागीदारी द्वारा, जिसमें अभ्यर्थी का, उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए गए संकर्मों के निष्पादन के लिए कोई शेयर है, कोई विद्यमान संविदा (संविदाएं) हैं?.....(हां/नहीं)

- यदि हां तो किसी सरकार के साथ और विद्यमान संविदा (संविदाओं) के ब्यौरे.....

8. क्या अभ्यर्थी किसी ऐसी कंपनी या निगम का (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) को जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कम से कम पच्चीस प्रतिशत शेयर है प्रबंध अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है?.....(हां/नहीं)

- यदि हां तो किस सरकार के साथ और उसके ब्यौरे.....

9. क्या अभ्यर्थी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन आयोग द्वारा निरर्हित किया गया है.....(हां/नहीं)

- यदि हां तो निरर्हता की तारीख"

4. मूल नियमों के प्ररूप 2ज में,-

(क) भाग 3 में "मैं यह भी घोषणा करता हूं" से संबंधित पैरा के पश्चात् और "(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)" के पूर्व निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा:-

"मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मुझे वर्तमान आम निर्वाचन या साथ ही साथ सिद्धिम विधान सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन में दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।"

(ख) भाग 4 में विद्यमान पैरा को उसके पैरा 1 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित पैरा के पश्चात् और "(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)" के पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:--

"2. क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पदधारण किया हुआ है?..... (हां/नहीं)

-- यदि हां, तो धारण किए गए पद के ब्यौरे.....

3. क्या अभ्यर्थी को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है?.....(हां/नहीं)

- यदि हां तो क्या वह दिवालियापन से उनमोचित हो चुका है

4. क्या अभ्यर्थी किसी विदेश के प्रति राज्यनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है?..... (हां/नहीं)

- यदि हां तो उसके ब्यौरे दें

5. क्या अभ्यर्थी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निरर्हित किया गया है?(हां/नहीं)

- यदि हां, तो वह अवधि जिसके लिए अभ्यर्थी को निरर्हित किया गया है.....

6. क्या अभ्यर्थी को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पदधारण करने के दौरान भ्रष्टाचार के कारण या अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया था?.....(हां/नहीं)

- यदि हां तो ऐसी पदच्युति की तारीख

7. क्या अभ्यर्थी की, सरकार के साथ व्यक्तिगत हैसियत में या ऐसे न्यास या भागीदारी द्वारा, जिसमें अभ्यर्थी का, उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए गए संकर्मों के निष्पादन के लिए कोई अंश है, कोई विद्यमान संविदा (संविदाएं) हैं?.....(हां/नहीं)

- यदि हां तो किसी सरकार के साथ और विद्यमान संविदा (संविदाओं) के ब्यौरे.....

8. क्या अभ्यर्थी किसी ऐसी कंपनी या निगम का (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कम से कम पच्चीस प्रतिशत शेयर है प्रबंध अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है?.....(हां/नहीं)

- यदि हां तो किस सरकार के साथ और उसके ब्यौरे.....

9. क्या अभ्यर्थी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क ने अधीन आयोग द्वारा निरर्हित किया गया है.....(हां/नहीं)

- यदि हां तो निरर्हिता की तारीख"

[फा.सं.एच-11019/13/2016-वि.2]

डॉ. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ.संख्यांक 519, तारीख 7 सितंबर, 1979 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ.सं. 3263(अ), तारीख 16 सितंबर, 2016 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**New Delhi, the 26th February, 2019

S.O. 1022(E).—In exercise of the powers conferred by section 169 read with section 33 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government after consulting the Election Commission hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Assembly Elections (Sikkim) Rules, 1979, namely:—

1. (1) These rules may be called the Conduct of Assembly Elections (Sikkim) Amendment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Conduct of Assembly Elections (Sikkim) Rules, 1979 (hereinafter referred to as the principal rules), in Form 2F,—

- (a) in Part III, after the Paragraph relating to “further declaration” and before the “(Signature of the Candidate)”, the following Paragraph shall be inserted, namely:—

“I also declare that I have not been, and shall not be nominated as a candidate at the present general election or the bye-elections being held simultaneously, to the Legislative Assembly of Sikkim from more than two Assembly constituencies.”;

- (b) in Part IV, the existing Paragraph shall be numbered as Paragraph 1 thereof and after the Paragraph 1 as so numbered and before the “(Signature of the Candidate)”, the following Paragraphs shall be inserted, namely:—

“2. Whether the candidate is holding any office of profit under the Government of India or the State Government ?----- (Yes/No).

– If Yes, details of the office held-----.

3. Whether the candidate has been declared as an insolvent by any court?----- (Yes/No).

– If Yes, has he been discharged from the insolvency -----.

4. Whether the candidate is under allegiance or adherence to any foreign country? ----- (Yes/No).

– If Yes, give details -----.

5. Whether the candidate has been disqualified under section 8A of the Representation of the People Act, 1951, by an order of the President?----- (Yes/No).

– If Yes, the period for which the candidate has been disqualified -----.

6. Whether the candidate was dismissed for corruption or for disloyalty while holding office under the Government of India or the Government of any State? ----- (Yes/No).

– If Yes, the date of such dismissal -----.

7. Whether the candidate has any subsisting contract(s) with the Government either in individual capacity or by trust or partnership in which the candidate has a share for supply of any goods to that Government or for execution of works undertaken by that Government?----- (Yes/No).

– If Yes, with which Government and the details of subsisting contract(s) -----.

8. Whether the candidate is a managing agent, or manager or secretary of any company or Corporation (other than a co-operative society) in the capital of which the Central Government or the State Government has not less than twenty-five per cent. share?----- (Yes/No).

– If Yes, with which Government and the details thereof -----.

9. Whether the candidate has been disqualified by the Election Commission under section 10A of the Representation of the People Act, 1951----- (Yes/No).

– If yes, the date of disqualification-----.”.

3. In the principal rules, in Form 2G,—

- (a) in Part III, after the Paragraph relating to “further declaration” and before the “Signature of the Candidate”, the following Paragraph shall be inserted, namely:—

“I also declare that I have not been, and shall not be nominated as a candidate at the present general election or the bye-elections being held simultaneously, to the Legislative Assembly of Sikkim from more than two Assembly constituencies.”;

- (b) in Part IV, the existing Paragraph shall be numbered as Paragraph 1 thereof and after the Paragraph 1 as so numbered and before the “(Signature of the Candidate)”, the following Paragraphs shall be inserted, namely:—

“2. Whether the candidate is holding any office of profit under the Government of India or the State Government ?----- (Yes/No).

– If Yes, details of the office held-----.

3. Whether the candidate has been declared as an insolvent by any court?----- (Yes/No).

– If Yes, has he been discharged from the insolvency -----.

4. Whether the candidate is under allegiance or adherence to any foreign country? --- (Yes/No).

– If Yes, give details -----.

5. Whether the candidate has been disqualified under section 8A of the Representation of the People Act, 1951, by an order of the President?----- (Yes/No).

– If Yes, the period for which the candidate has been disqualified -----.

6. Whether the candidate was dismissed for corruption or for disloyalty while holding office under the Government of India or the Government of any State? ----- (Yes/No).

– If Yes, the date of such dismissal -----.

7. Whether the candidate has any subsisting contract(s) with the Government either in individual capacity or by trust or partnership in which the candidate has a share for supply of any goods to that Government or for execution of works undertaken by that Government?-- (Yes/No).

– If Yes, with which Government and the details of subsisting contract(s) -----.

8. Whether the candidate is a managing agent, or manager or secretary of any company or Corporation (other than a co-operative society) in the capital of which the Central Government or the State Government has not less than twenty-five per cent. share?----- (Yes/No).

– If Yes, with which Government and the details thereof -----.

9. Whether the candidate has been disqualified by the Election Commission under section 10A of the Representation of the People Act, 1951----- (Yes/No).

– If yes, the date of disqualification-----.”.

4. In the principal rules, in Form 2H,—

- (a) in Part III, after the Paragraph relating to “further declaration” and before the “Signature of the Candidate”, the following Paragraph shall be inserted, namely:—

“I also declare that I have not been, and shall not be nominated as a candidate at the present general election or the bye-elections being held simultaneously, to the Legislative Assembly of Sikkim from more than two Assembly constituencies.”;

- (b) in Part IV, the existing Paragraph shall be numbered as Paragraph 1 thereof and after the Paragraph 1 as so numbered and before the “(Signature of the Candidate)”, the following Paragraphs shall be inserted, namely:—

“2. Whether the candidate is holding any office of profit under the Government of India or the State Government ?----- (Yes/No).

– If Yes, details of the office held -----.

3. Whether the candidate has been declared as an insolvent by any court? ----- (Yes/No).

– If Yes, has he been discharged from the insolvency -----.

4. Whether the candidate is under allegiance or adherence to any foreign country? ----- (Yes/No).

– If Yes, give details -----.

5. Whether the candidate has been disqualified under section 8A of the Representation of the People Act, 1951, by an order of the President?----- (Yes/No).

– If Yes, the period for which the candidate has been disqualified -----.

6. Whether the candidate was dismissed for corruption or for disloyalty while holding office under the Government of India or the Government of any State? ----- (Yes/No).

– If Yes, the date of such dismissal -----.

7. Whether the candidate has any subsisting contract(s) with the Government either in individual capacity or by trust or partnership in which the candidate has a share for supply of any goods to that Government or for execution of works undertaken by that Government? ----- (Yes/No).

– If Yes, with which Government and the details of subsisting contract(s) -----.

8. Whether the candidate is a managing agent, or manager or secretary of any company or Corporation (other than a co-operative society) in the capital of which the Central Government or the State Government has not less than twenty-five per cent. share?----- (Yes/No).

– If Yes, with which Government and the details thereof -----.

9. Whether the candidate has been disqualified by the Election Commission under section 10A of the Representation of the People Act, 1951----- (Yes/No).

– If Yes, the date of disqualification-----.”.

[F. No. H-11019/13/2016-Leg. II]

Dr. REETA VASISHTA, Addl. Secy.

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 519, dated the 7th September, 1979 and were last amended *vide* number S.O. 3263 (E), dated the 16th September, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2019

का.आ. 1023(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 33 के साथ पठित धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के प्ररूप 26 में,-

1. भाग अ में,-

(i) पैरा 4 और उसके नीचे की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(4) स्थायी खाता संख्या (पैन) और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति:

क्रम सं.	नाम	पीएएन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिए आय-कर विवरणी में दर्शित कुल आय(रुपये में)
1.	स्वयं			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)
2.	पति/पत्नी			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)
3.	हिंदू अविभक्त कुटुंब (यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक है)			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)
4.	आश्रित-1			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)
5.	आश्रित-2			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)
6.	आश्रित-3			(i)

				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)

टिप्पण : स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आबंटित नहीं हुआ है"।

(ii) पैरा 7 में,-

(क) "क. जंगम संपत्तियों का ब्यौरा" शीर्षक के नीचे "टिप्पण 5" के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'टिप्पण: 6. ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

स्पष्टीकरण,- इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए "अपतट आस्तियों" पद से विदेशी बैंकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के ब्यौरे और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे अभिप्रेत हैं;

(ख) सारणी में "पति/पत्नी" स्तंभ शीर्षक के पश्चात् "हिंदू अविभक्त कुटुंब" शीर्षक के साथ एक नया स्तंभ अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ग) "ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे" शीर्षक के नीचे-

(अ) "टिप्पण 2" के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण : 3. ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।"

(आ) सारणी में "पति/पत्नी" स्तंभ शीर्षक के पश्चात् "हिंदू अविभक्त कुटुंब" शीर्षक के साथ एक नया स्तंभ अंतःस्थापित किया जाएगा।"

(iii) पैरा (8) की सारणी में, दोनों स्थानों पर आने वाले "पति/पत्नी" स्तंभ के पश्चात् "हिंदू अविभक्त कुटुंब" शीर्षक के साथ एक नया स्तंभ अंतःस्थापित किया जाएगा";

II. भाग ख में, पैरा (11) के नीचे सारणी में-

(i) क्रम संख्या 7 में, प्रविष्टि (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब

(घ) आश्रित";

(ii) क्रम संख्या 8 में,

(क) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"आस्तियों और दायित्वों (अपतट आस्तियों सहित) के रूपों में ब्यौरे";

(ख) सारणी में, "पति/पत्नी" स्तंभ के पश्चात् "हिंदू अविभक्त कुटुंब" शीर्षक के साथ एक नया स्तंभ अंतःस्थापित किया जाएगा;

III. उक्त प्ररूप के अंत में सत्यापन के पश्चात् आने वाले "टिप्पण:4" के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण: 5. शपथ पत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष शपथ पत्र सत्यापित किया जाता है, की स्टांप होनी चाहिए।"

[फा. सं. एच-11019/13/2016-विधायी 2]

डॉ. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. संख्यांक 859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ. संख्यांक 5196(अ), तारीख 10 अक्तूबर, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2019

S.O. 1023(E).—In exercise of the powers conferred by section 169 read with section 33 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government after consulting the Election Commission hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Conduct of Elections Rules, 1961 in FORM 26,—
- I. in PART A—
- (i) for paragraph (4) and the Table thereunder, the following shall be substituted, namely:—
- “(4) Details of Permanent Account Number (PAN) and status of filing of income tax return:

Sl.No.	Names	PAN	The financial year for which the last income-tax return has been filed.	Total income shown in income tax return (in Rupees) for the last five Financial Years (as on the 31 st March).
1.	Self			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)
2.	Spouse			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)
3.	HUF (If the Candidate is Karta)			(i)

	or Coparcener)			(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)
4.	Dependent-1			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)
5.	Dependent-2			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)
6.	Dependent-3			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)

Note: It is mandatory for PAN holder to mention PAN and in case of no PAN, it should be clearly stated “No PAN allotted”.

(ii) in paragraph (7), —

(a) under the heading “A. Details of movable assets”, after “Note 5”, the following Note shall be inserted, namely:—

***Note : 6.** Details should include the interest in or ownership of offshore assets.

Explanation,— For the purpose of this Form, the expression “offshore assets” includes, details of all deposits or investments in Foreign banks and any other body or institution abroad, and details of all assets and liabilities in foreign countries’;

(b) in the Table, after the column heading “Spouse”, a new column with heading “HUF” shall be inserted.”;

(c) under the heading “B. Details of Immovable Assets”—

(A) after the “Note 2”, the following Note shall be inserted, namely:—

“Note: 3. Details should include the interest in or ownership of offshore assets.”

(B) in the Table, after the column heading “Spouse”, a new column with heading “HUF” shall be inserted.”

(iii) in paragraph (8), in the table, after the column “Spouse” occurring at both the places, a new column with heading “HUF” shall be inserted.”;

II. in PART B, in paragraph (11), in the Table thereunder—

(i) in serial No. 7, for entry (c), the following entries shall be substituted, namely:—

“(c) HUF

(d) Dependent”;

(ii) in serial No. 8, —

(a) for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely:—

“Details of Assets and Liabilities (including offshore assets) in rupees”;

(b) in the Table, after the column “Spouse”, a new column with heading “HUF” shall be inserted;

III. at the end of the said FORM, after the “Note: 4”, occurring below the heading “Verification”, the following Note shall be inserted, namely:—

“**Note: 5.** Each page of the Affidavit should be signed by the deponent and the Affidavit should bear on each page the stamp of the Notary or Oath Commissioner or Magistrate before whom the Affidavit is sworn.”.

[F. No. H-11019/13/2016-Leg. II]

Dr. REETA VASISHTA, Addl. Secy.

Footnote : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 859, dated the 15th April, 1961 and last were amended *vide* number S.O. 5196(E), dated the 10th October, 2018.